



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253089
CG-DL-E-16032024-253089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1356]
No. 1356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1422(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सभी रबड़ और पॉलीमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022, के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को सभी रबड़ और सभी पॉलीमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाए।

(2) यह आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2024 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग.— तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तद्विरुद्ध भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम,

2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि समय-समय पर यथा संशोधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुच्छेद के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयों पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि केवल निर्यात के लिए भारत में फुटवियर के विनिर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सामान के आयात पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा:—

क्र.सं.	वस्तुएं अथवा सामान (घटक)	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	मोल्डिड रबड़ आउटसोल	आईएस 5676:1995	मोल्डिड रबड़ यूनिट आउटसोल – विशेषताएं
2.	आउटसोल के लिए माइक्रोसेल्युलर रबड़ शीट	आईएस 6664:1992	आउटसोल के लिए माइक्रोसेल्युलर रबड़ शीट – विशेषताएं
3.	मोल्डेड पीवीसी आउटसोल	आईएस 6719:1972	मोल्डेड पीवीसी यूनिट आउटसोल — विशेषताएं
4.	पीयू आउटसोल	आईएस 13893:1994	पॉलीयूरेथेन यूनिट आउटसोल - विशेषताएं

बशर्ते यह भी कि आयातक को, ऐसे फुटवियर सोल के आयात की अनुमति सीमा शुल्क द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करने से पूर्व, चमड़ा निर्यात परिषद् द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी:—

- (i). आयातक की यह स्व-घोषणा कि आयातित फुटवियर सोल का इस्तेमाल केवल निर्यात के लिए फुटवियर के उत्पादन अथवा असेम्बल करने में किया जाएगा तथा भारत के घरेलू बाजार में बेचने के लिए नहीं किया जाएगा।
- (ii). स्व-घोषणा, आयातक के पत्रशीर्ष (लेटर हेड) पर दी जाएगी जिसमें इनवॉइस नंबर और आयात खेप के अन्य संगत ब्यौरे विधिवत रूप से उल्लिखित होंगे तथा यह उल्लेख होगा कि आयातित मद निर्यात के प्रयोजन के लिए फुटवियर के विनिर्माण के अलावा घरेलू बाजार में किसी अन्य कार्य के लिए अथवा बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी तथा कंपनी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणन अथवा भविष्य में लेखा परीक्षा के लिए अपने आंतरिक रिकॉर्ड का रखरखाव करेगी।
- (iii). चमड़ा निर्यात परिषद् का सत्यापन कि आयातक परिषद् में पंजीकृत एक विनिर्माता निर्यातक है जिसमें:
 - (क) वर्तमान में वैध पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र संख्या और जारी करने की तारीख; (ख) उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या और तारीख अथवा औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन संख्या और तारीख;
 - (ग) होम कंज़म्पशन नंबर के लिए प्रवेश का बिल और तारीख जिसे आयात मंजूरी हेतु भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में दायर किया गया है, का उल्लेख हो; और
- (iv). फुटवियर सोल की सुगम सीमा शुल्क मंजूरी के लिए, आयातक को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पोर्टल पर उपर्युक्त दस्तावेज और अन्य संगत दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

बशर्ते इस बात के भी कि यदि ब्यूरो द्वारा प्रमाणित कोई विनिर्माता अथवा ऐसा विनिर्माता जिसने ब्यूरो में प्रमाणन के लिए आवेदन किया है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 18 की उप-धारा (4) के तहत यह आदेश लागू होने से पहले, भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न के बिना विनिर्मित अथवा आयातित फुटवियर उत्पादों के अपने पुराने स्टॉक की घोषणा करता है, तो ऐसे विनिर्माता को ऐसे घोषित स्टॉक को 30 जून, 2025 तक बेचने अथवा प्रदर्शित करने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाएगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण.- भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

	वस्तुएं अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इंडस्ट्रियल और प्रोटेक्टिव रबड़ नी और एंकल बूट्स	आईएस 5557: 2004	इंडस्ट्रियल और प्रोटेक्टिव रबड़ नी और एंकल बूट्स - विशेषताएं
2	ऑल रबड़ गम बूट्स और एंकल बूट्स	आईएस 5557 (भाग 2): 2018	ऑल रबड़ गम बूट्स और एंकल बूट्स: भाग 2 व्यावसायिक प्रयोजन
3	मोल्डेड रबड़ आउटसोल	आईएस 5676: 1995	मोल्डेड रबड़ यूनिट आउटसोल — विशेषताएं
4	आउटसोल के लिए माइक्रोसेल्युलर रबड़ शीट	आईएस 6664: 1992	आउटसोल के लिए माइक्रोसेल्युलर रबड़ शीट — विशेषताएं
5	मोल्डेड पीवीसी आउटसोल	आईएस 6719: 1972	मोल्डेड पीवीसी यूनिट आउटसोल — विशेषताएं
6	सैंडल और स्लिपर्स	आईएस 6721: 2023	सैंडल और स्लिपर्स - विशेषताएं
7	हवाई चप्पल	आईएस 10702: 2023	हवाई चप्पल - विशेषताएं
8	पॉलीविलाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंडस्ट्रियल बूट्स	आईएस 12254: 2021	पॉलीविलाइल क्लोराइड (पीवीसी) इंडस्ट्रियल बूट्स - विशेषताएं
9	पॉलीयूरेथेन आउटसोल	आईएस 13893: 1994	पॉलीयूरेथेन यूनिट आउटसोल — विशेषताएं
10	अनलाइन्ड मोल्डेड रबड़ बूट्स	आईएस 13995: 1995	अनलाइन्ड मोल्डेड रबड़ बूट्स - विशेषताएं
11	सामान्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मोल्डेड	आईएस 16645:	सामान्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए मोल्डेड

	प्लास्टिक फुटवियर –लाइन्ड अथवा अनलाइन्ड बूट्स	2018	प्लास्टिक फुटवियर –लाइन्ड अथवा अनलाइन्ड बूट्स - विशेषताएं
12	नगर निगम के सफाई कार्यों के लिए पुरुषों और महिलाओं हेतु फुटवियर	आईएस 16994: 2018	नगर निगम के सफाई कार्यों के लिए पुरुषों और महिलाओं हेतु फुटवियर

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फ़ा. सं. पी-27025/80/2023-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of Footwear made from all-Rubber and all Polymeric material and its components (Quality Control) Order, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Footwear made from All Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of August, 2024.

2. Compulsory use of Standard Mark.— Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export:

Provided further that nothing in this Order shall apply to micro and small manufacturing units as defined in section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) as amended from time to time:

Provided also that nothing in this Order shall apply to import of goods or articles specified in the Table below used in manufacturing of footwear in India for export only, namely:—

Sl. No.	Goods or Articles (Components)	Indian Standard	Title of Indian Standards
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	Moulded Rubber Outsoles	IS 5676:1995	Moulded Rubber Unit Outsoles — Specification
2.	Microcellular Rubber Sheets for Outsoles	IS 6664:1992	Microcellular Rubber Sheets for Outsoles — Specification
3.	Moulded PVC Outsoles	IS 6719:1972	Moulded PVC Unit Outsoles — Specification
4.	PU Outsoles	IS 13893:1994	Polyurethane Unit Outsoles — Specification

Provided also that the importer shall furnish a self-declaration certified by the Council for Leather Exports before the import of such footwear soles are allowed by the customs in the following manner, namely:-

(i) self-declaration by the importer that the footwear soles imported are meant for production or assembly of footwear for exports and not for sale in the domestic market of India;

(ii) the self-declaration shall be in the Letter Head of the importer duly mentioning the Invoice Number and other relevant details of the import consignment and mentioning that the imported items shall not be put to any other use or sold in the domestic market except in the manufacture of footwear for the purpose of exports and the company will maintain its internal records for any future verification or audit by concerned authorities;

(iii) certification by the Council for Leather Exports that the importer is a manufacturer exporter registered with the Council by quoting—

(a) Currently valid Registration-cum-Membership Certificate number and date of issue;

(b) Udyam Registration Certificate Number and date;

(c) Bill of Entry for home consumption number and date which is filed in the Indian Customs Electronic Data Interchange system for import clearance; and

(iv) the importers must upload the above documents along with other relevant documents in the Indian Customs Electronic Data Interchange portal, for smooth customs clearance of the footwear soles:

Provided also that if any manufacturer certified by the Bureau or any manufacturer who has applied for certification to the Bureau, declares prior to the Commencement of this Order, under sub-section (4) of section 18 of the Bureau of Indian Standards, Act 2016 (11 of 2016) its old stock of footwear products without Bureau of Indian Standards Mark manufactured or imported prior to such commencement, such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock upto the 30th June, 2025.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Industrial and protective rubber knee and ankle boots	IS 5557: 2004	Industrial and protective rubber knee and ankle boots - Specification
2	All rubber gum boots and ankle boots	IS 5557 (Part 2): 2018	All rubber gum boots and ankle boots: Part 2 occupational purposes
3	Moulded Rubber Outsoles	IS 5676: 1995	Moulded Rubber Unit Outsoles — Specification
4	Microcellular Rubber Sheets for Outsoles	IS 6664: 1992	Microcellular Rubber Sheets for Outsoles — Specification
5	Moulded PVC Outsoles	IS 6719: 1972	Moulded PVC Unit Outsoles — Specification
6	Sandal and Slippers	IS 6721: 2023	Sandal and Slippers- Specification
7	Hawai Chappal	IS 10702: 2023	Hawai Chappal- Specification
8	Polyvinyl chloride (PVC) industrial boots	IS 12254: 2021	Polyvinyl chloride (PVC) industrial boots - Specification
9	Polyurethane Outsoles	IS 13893: 1994	Polyurethane Unit Outsoles — Specification
10	Unlined moulded rubber boots	IS 13995: 1995	Unlined moulded rubber boots – Specification
11	Moulded plastics footwear- Lined or Unlined polyurethane boots for general industrial use	IS 16645: 2018	Moulded plastics footwear- Lined or Unlined polyurethane boots for general industrial use- Specification
12	Footwear for men and women for municipal scavenging work	IS 16994: 2018	Footwear for men and women for municipal scavenging work

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards, as amended from time to time, as notified by the Bureau of Indian Standards, shall apply.

[F. No. P-27025/80/2023-LEATHER]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.